आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

21/4/25

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-96/2023-24

(1) सुशील लकड़ा
(2) राजन लकड़ा .....आवेदकगण।

बनाम्

रविन्द्र चन्द्र घोष, ... विपक्षी।

आदेश

आवेदकगण (1) सुशील लकड़ा, पिता–स्व० तोता लकड़ा, वो (2) राजन लकड़ा, पिता–स्व० पीटर लकड़ा, निवासी ग्राम–कुसई बस्ती, थाना–डोरण्डा जिला–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन को विपक्षी रविन्द्र चन्द्र घोष, पिता–रायमोहन घोष, निवासी स्थान–कुसई, आत्मानन्द सिंह रोड, थाना–डोरण्डा, जिला–राँची द्वारा भूमि को छल प्रपंच से हड़प लिया गया है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
कुसई	222	05	226	04 डी०

आवेदक का कहना है कि मैं खतियानी रैयत का वंशज हूँ, खतियान में टुटुंग उराँव वो बुधुआ उराँव पेशरान जेगो नाम दर्ज है। आवेदक की ओर से दाखिल वंशावली में टुटुंग उराँव अपने पीछे तुलसी उराँव एवं मादी उराँव को छोड़ गये। मादी उराँव अपने पीछे बिरसा उराँव एवं तोता उराँव को छोड़ गये। तोता उराँव अपने पीछे सुधीर लकड़ा एवं सुशील लकड़ा (आवेदक) को छोड़ गये। तुलसी उराँव अपने पीछे बिरसा उराँव, बुधुआ उराँव, पीटर उराँव को छोड़ गये। पीटर उराँव अपने पीछे रेमन्टुस लकड़ा एवं राजन लकड़ा (आवेदक) को छोड़ गये। आवेदकगण का कहना है कि विपक्षी वर्णित भूमि को छल–प्रपंच से जबरन दखल–

21/4/25

कृ०पृ०उल्टे

21/4/25

कब्जा कर लिये हैं। इसलिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत आवेदकगण को जमीन वापस होना चाहिए। आवेदक की ओर से खतियान की छायाप्रति एवं लगान की छायाप्रति दाखिल किए हैं।

आवेदक की ओर से तीन गवाह प्रस्तुत किया गया है। गवाह सं०—01, राजन लकड़ा, पिता—पीटर लकड़ा अपने शपथ—पत्र में कहते हैं कि तकरारी जमीन मेरे पूर्वज टुटुंग उराँव एवं बुधुआ उराँव का है तथा खतियानी रैयत का मैं वंशज हूँ। आवेदक का कहना है कि विपक्षी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा—46 का उल्लघंन कर जमीन प्राप्त किए हैं। आगे कहते हैं कि विपक्षी नाजायज तरीके से भूमि पर मकान का निर्माण कर लिए हैं। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि खतियानी रैयत के सभी वंशज इस वाद में आवेदक नहीं है। गवाह सं०—02 सुशील लकड़ा, पिता—स्व० तोता लकड़ा अपने शपथ—पत्र में कहते हैं कि खतियान में टुटूंग उराँव एवं बुधुआ उराँव नाम दर्ज है। आगे कहते हैं कि मेरे अलावा अन्य भाई सुधीर लकड़ा राजू लकड़ा, संजय लकड़ा, मंगल लकड़ा, विलियम लकड़ा, कुलदीप लकड़ा, रेमनटुस लकड़ा, राजन लकड़ा, सुजीत लकड़ा, तोता मादी लकड़ा, जेगो लकड़ा एवं चुंदा लकड़ा भी खतियानी रैयत के वारीसान है, इन सभी को इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। मैं आदिवासी समुदाय से आता हूँ। विपक्षी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा—46 का उल्लघंन कर जमीन प्राप्त किये हैं। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि हम दो लोग ही केस किए है, बाकि भईयाद इस केस में नहीं है। गवाह सं०—03 विलियम लकड़ा, पिता—स्व० लिटिया लकड़ा अपने शपथ—पत्र में कहते हैं कि यह मेरी खतियानी जमीन है। इस वाद में 02 (दो) ही आवेदक है बाकि अन्य वंशज को हमने आवेदक नहीं बनाया है।

विपक्षी की ओर से कारणपृच्छा दाखिल की गयी, इसमें कहते हैं कि यह वाद चलने योग्य नहीं हैं एवं कालबाधित है तथा आवेदक ने अपने आवेदन में विपक्षी ने छल—प्रपंच कैसे किये है, इसका उल्लेख नहीं किया है। विपक्षी ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा—46 का उल्लंघन नहीं किया है। विपक्षी ने निबंधित पट्टा से भूमि को खरीदा हैं। जिसका पट्टा सं०—7245, दिनांक—

M-J 21/4/25

21/4/25

09.06.1976 है। आगे कहते हैं कि तुलसी उराँव एवं मादी उराँव दोनों के पिता–टुटुंग उराँव, एवं माथु उराँव, लीलू उराँव दोनों के पिता–बुधुवा उराँव ने अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा को पैसा लेकर जमीन बेच दिए। अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा ने व्यवहार न्यायालय, राँची के मुंसिफ कोर्ट में एक टाईटल सूट दायर किये है। जिसका टाईटल सूट नं०–313/1963 है। इस वाद में तुलसी उराँव, मादी उराँव माथु उराँव और लीलू उराँव पर श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा ने वाद दायर किया था। जिसका खाता नं०–05, प्लॉट सं०–226, मौजा–कुसई, कुल रकवा–66 डिसमिल है। इनदोनों के बीच आपसी समझौता के आधार पर अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा के पक्ष में डिक्री बना। अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा वर्णित भूमि पर दखल–कब्जा के साथ रहने लगे तथा बाद में इन्होंने संतोष पुरी, पति–श्री कुलवंत सिंह को जमीन दिनांक–21.02.1964 ई० में बेच दिया। पुनः संतोष पुरी ने कामता प्रसाद सिंह, पिता–कृष्णा कुमार सिंह को निबंधित पट्टा से बेच दिया। जिसका पट्टा सं०–5003, दिनांक–14.03.1975 रकबा–03 कट्ठा 300 वर्गफीट है। कामता प्रसाद सिंह ने रविन्द्र चन्द्र घोष को दिनांक–09.06.1976 को निबंधित पट्टा से बेच दिया, जिसका पट्टा सं०–7245 रकबा–03 कट्ठा 300 वर्गफीट है। पुनः विपक्षी ने रकबा–1.5 कट्ठा 150 वर्गफीट जमीन निबंधित पट्टा से खरीद लिया। जिसका डीड नं०–8526, दिनांक–14.08.1985 है। विपक्षी ने अपने नाम पर म्यूटेशन करवा लिए तथा राँची नगर निगम, राँची में हॉल्डिग टैक्स दे रहे हैं। आगे कहते हैं कि आवेदक ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत जो वाद लाए हैं, यह चलने योग्य नहीं है, क्योंकि यह वाद 70 वर्षो के बाद लाया गया है, जो पोषणीय नहीं है।

विपक्षी की ओर से दो गवाह प्रस्तुत किए गए। गवाह सं०–1 रवीन्द्र चन्द्र घोष, पिता–रायमोहन घोष अपने शपथ पत्र में कहते हैं वर्णित भूमि को मैंनें निबंधित पट्टा से खरीद कर दाखिल–खारिज करवाये हैं तथा दखल–कब्जा भी मेरा है। गवाह सं०–2 राजेश कुमार सिंह, पिता–बिरेन्द्र कुमार सिंह अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि वर्णित भूमि को विपक्षी ने निबंधित पट्टा से खरीदा है, जिसपर टाईटल सूट भी हुआ है।

21/4/25

21/4/25 आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया, साथ ही लिखित बहस भी दाखिल किया गया। इसमें कहते हैं खाता सं०–05, प्लॉट सं०–226, मौजा–कुसई की भूमि खतियानी रैयत टुटुंग उराँव वगै० है, आवेदकगण खतियानी रैयत के वंशज है, यह जमीन आदिवासी खाते की है तथा उपायुक्त के अनुमति के बिना जमीन को सामान्य वर्ग के लोग नहीं खरीद सकते हैं। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत जमीन वापस होना चाहिए। वर्णित भूमि पर एक टाईटल सूट हुआ था, जिसका वाद संख्या–313/1963 है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया, साथ ही लिखित बहस भी दाखिल किया गया। इसमें कहते हैं कि यह वाद चलने योग्य नहीं है तथा कालबधित है। यह वाद 30 वर्षो के बाद लाया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। तथा Fradulent भी नहीं हुआ है। कामता प्रसाद सिंह से रविन्द्र चन्द्र घोष ने भूमि को निबंधित पट्टा से खरीदा है, जिसका पट्टा संख्या–7245, दिनांक–09.06.1976 है। उसके बाद विपक्षी ने अपने नाम पर दाखिल–खारिज करा लिया। आगे कहते हैं कि अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा ने तुलसी उराँव, मादी उराँव, माथु उराँव एवं लिलु उराँव के विरूद्ध व्यवहार न्यायालय, राँची के मुंसिफ कोर्ट में एक वाद दायर किया, जिसका वाद सं०–313/1963 है। इस वाद में दोनों पक्षो के मध्य आपसी समझौता से अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा के पक्ष में डिक्री बना। अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा ने संतोष पुरी को वर्ष 1964 ई० में जमीन बेच दिया। पुनः संतोष पुरी ने कामता प्रसाद सिंह को जमीन बेच दिया। जिसका डीड सं०–5003, दिनांक–14.03.1975 है। उसके पश्चात् कामता प्रसाद सिंह ने विपक्षी रवीन्द्र चन्द्र घोष को वर्णित भूमि में 03 कट्ठा 300 वर्गफीट जमीन को बेच दिये। जिसका डीड सं०–7245, दिनांक–09.06.1976 है। विपक्षी घर–मकान बनाकर रह रहे हैं, तथा अपने नाम पर दाखिल–खारिज कराकर मालगुजारी देते आ रहे हैं, तथा राँची नगर निगम, राँची में हाल्डिंग्स टैक्स

21/4/25

कृ०पृ०उल्टे

21/4/25

देते आ रहे है। अतः यह वाद पोषणीय नहीं है। इस वाद को खारिज किया जाए। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता की ओर से अन्य केस का हवाला दिया गया है, जो इस प्रकार है:—

"Civil writ Jurisdiction Case No. 695 of 1987 (R) (23.09.1991)".

"Civil writ Jurisdiction Case No. 2325 of 1993 (R) (19.08.1993) ".

"C.W.J.C NO. 645 of 1979 (R), decided on May, 09, 1985 **Mitu Koiri and another Versus State of Bihar and Others**".

"Civil Appeal No. 12493 of 1996 with Civil Appeal Nos..2000 decided on May 5, 2000 **Jai Mangal Oraon Versus Smt. Mira Nayak & others with Jai Mangal Oraon Versus Smt. Rita Sinha and others**".

"Civil Appeal Nos. 2414-15 of 1999 (10.09.2004) **Situ Sahu and Ors. Vs. State of Jharkhand & Ors".**

अतः दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का बहस सुनने तथा लिखित बहस एवं दोनों पक्षों के कागजातों के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आवेदक द्वारा लाया गया यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है। यह वाद कालबाधित है तथा पोषणीय नहीं है। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है तथा वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

21/4/25

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

21/4/25

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.06.04 16:59:39 +05:30
Location: 192.168.164.39